प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जन पुत्र श्री कालिका प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जन पुत्र श्री कालिका प्रसाद, आकांक्षा कालोनी, टाइप-2, मड़ियांऊ 10 अलीगंज, पी0एस0-अलीगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने तथा पत्नी के काली होने के कारण बंदी ने दिनांक 14.01.1990 की रात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी एवं साक्ष्य मिटाने के लिए मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-320/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.08.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बंदी द्वारा दिनांक 23.03.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष 05 माह 24 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए संस्तुति नहीं की गयी है तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मांग पूरी न होने तथा पत्नी के काली होने के कारण बंदी ने दिनांक 14.01.1990 की रात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रज्जन पुत्र श्री कालिका प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जन (बन्दी संख्या-2553/08) पुत्र श्री कालिका प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-186/2025/2361(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-186/2025/2361/22-2-2023-(939)/2022

दिनांक 24 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जन पुत्र श्री कालिका प्रसाद, आकांक्षा कालोनी, टाइप-2, मड़ियांऊ 10 अलीगंज, पी0एस0-अलीगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। दहेज की मांग पूरी न होने तथा पत्नी के काली होने के कारण बंदी ने दिनांक 14.01.1990 की रात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी एवं साक्ष्य मिटाने के लिए मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-320/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.08.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बंदी द्वारा दिनांक 23.03.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष 05 माह 24 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए संस्तुति नहीं की गयी है तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मांग पूरी न होने तथा पत्नी के काली होने के कारण बंदी ने दिनांक 14.01.1990 की रात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रज्जन पुत्र श्री कालिका प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।